निःशुल्क प्रकाशन हेतु

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रेस–विज्ञप्ति

विषयः– देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2011–12 हेतु आवेदन करने के सम्बन्ध में ।

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा सत्र 2011–12 के लिए समस्त **राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान** में अध्ययनरत् राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया लोहार, गाडोलिया 3 गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्राओं से देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एव प्रोत्साहन राशि हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

क. सं.	स्कीम/योजना का लाभ	छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर में जमा करवाने की अंतिम तिथि
1	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	25–11–2011	30–11–2011

योजना के तहत देय लाभः–

1– राजस्थान/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी.सै.) परीक्षा में पूर्णतयाः 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त कर **राजकीय महाविद्यालय** में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली छात्राओं की प्रतिशत वरीयता सूची बनाकर प्रथम 500 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की जावेगी ।

2– छात्राओं के **राजकीय महाविद्यालयों** में नियमित अध्ययनरत् रहकर स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष परीक्षा में पूर्णतयाः 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर कमशः द्वितीय वर्ष में रूपये 10,000/– और तृतीय वर्ष में रूपये 10,000/– वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी.जी. डिग्री प्रवेश वर्ष में) रूपये 20,000/– तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतयाः 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में रूपये 20,000/– वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जावेगी ।

योजना से संबंधित नियम, पात्रता, आवेदन प्रकिया तथा भुगतान करने संबंधी जानकारी एवं आवेदन पत्र निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है । छात्राएँ/प्राचार्य, महाविद्यालय डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है ।

छात्राओं द्वारा आवेदन पत्रों के साथ प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की प्रमाणित फोटो प्रति, गत परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका की प्रमाणित फोटो प्रति, जाति प्रमाण पत्र (विशेष पिछडा वर्ग) तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ, की प्रमाणित फोटो प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र–तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ, की प्रमाणित फोटो प्रति, माता पिता/अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र (छः माह से अधिक पुराना नहीं हो) तथा प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं का एस.बी.बी.जे बैंक खाता संख्या तथा पासबुक की फाटो प्रति संलग्न कर निर्धारित तिथि 25–11–2011 तक महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है ।

प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राचार्य द्वारा सम्पूर्ण जांच कर, फोटो प्रमाणित कर तथा महाविद्यालय संबंधी कॉलम पूर्तियों बाद हस्ताक्षर एवं सील अंकित कर निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में निर्धारित तिथि 30–11–2011 तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज0,
जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( ) लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कूटी वि.एवं प्रो.रा.यो./2011–12/1142–1151 दिनांकः 8/11/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इनका निःशुल्क प्रकाशन राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में करवाने की व्यवस्था करावें ।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
3. निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर ।
6. संयुक्त निदेशक अकादमी/पी एण्ड सी/छात्रवृति, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर ।
7. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
8. सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नव–ज्योति को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति के अनुसार आपके राजस्थान के समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन करावें ।
9. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
10. श्री देवर्षि जी को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त निदेशक (छात्रवृति)
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज0,
जयपुर